

**राजस्थान सरकार**  
**नगरीय विकास विभाग**

क्र. प.17(01)नविवि/अभियान/2021मं.मं.ज्ञा.

जयपुर, दिनांक:

6 APR 2022


**आदेश**

प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि बढ़ाये जाने के क्रम में नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 24.09.2021 की निरंतरता में नियुक्त नगर नियोजन सेवा के निम्नलिखित सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेवा अवधि दिनांक 01.04.2022 से आगामी 6 माह के लिए बढ़ायी जाती है-

1. श्री चन्द्र शेखर पाराशर
2. श्री सुग्रीव सिंह
3. श्री एस.के.श्रीमाली

शेष शर्तें पूर्व में जारी आदेश के अनुसार यथावत रहेगी।

आज्ञा से,

  
( नवनीत कुमार )  
संयुक्त शासन सचिव-॥

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. वरिष्ठ उपसचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद्/पालिका समस्त राजस्थान।
5. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. नजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. शासन सचिव, मंत्रीमण्डल, सचिवालय, जयपुर।
9. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
10. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
11. आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल।
12. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
13. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
14. मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर), राजस्थान, जयपुर।
15. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीडा, भिवाडी।
16. अध्यक्ष/सचिव, समस्त विकास न्यास, राजस्थान, जयपुर।
17. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
18. आयुक्त/अधिषाशी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका, समस्त राजस्थान।
19. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
20. रक्षित पत्रावली।

  
6/4/2022  
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय